

### वृन्दावन योजना में नवविकसित आवासीय भूखण्डों के आवंटन सम्बन्धी सूचना।

दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" एवं "अमर उजाला" में दिनांक 08.10.2016 को परिषद की वृन्दावन योजना, सेक्टर-4 व 6, लखनऊ में 41 नग भूखण्डों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2016 तक आमन्त्रण हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ था विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	भूखण्डों का क्षेत्रफल (व०मी० में)	भूखण्डों की संख्या	आरक्षित वर्ग	दर (प्र०व०मी० में)	पंजीकरण धनराशि
1	26.25 से 74.40	7	अनुसूचित जाति	16000.00	45000.00
2	25.88	1	अनुसूचित जनजाति	16000.00	45000.00
3	25.88 से 73.53	12	अन्य पिछड़ा वर्ग	16000.00	45000.00
4	25.41 से 73.08	21	सामान्य	16000.00	45000.00

आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि ₹0 45000/- की आधी धनराशि ₹0 22500/- का डी०डी०/पे-आर्डर/बैंकर्स चेक जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" लखनऊ के पक्ष में देय होगा, के साथ ₹0 1000/- के आवेदन फार्म सहित संलग्न कर आवेदन कर सकते हैं। आवंटन लाटरी ड्रा में सफल होने पर पंजीकरण अन्तर की धनराशि ₹0 22500/- प्रदेशन के उपरान्त जमा करनी होगी। आरक्षित वर्ग के जिन आवेदकों द्वारा पंजीकरण धनराशि ₹0 45000/- के डी०डी०/पे-आर्डर/बैंकर्स चेक द्वारा आवंटन हेतु आवेदन किया जा चुका है उन्हें पंजीकरण अन्तर की धनराशि प्रदेशन के उपरान्त जमा नहीं करनी होगी। आवंटन/प्रदेशन के उपरान्त किसी भी वर्ग का यदि कोई आवेदक निरस्तीकरण हेतु प्रदेशन पत्र निर्गमन के 03 माह के अन्दर आवेदन करता है तो उसे पंजीकरण धनराशि ₹0 45000.00 का 20 प्रतिशत तथा 03 माह के बाद आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती कर शेष धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 24.10.2016 के स्थान पर दिनांक 04.11.2016 तक बढ़ा दी गयी है। लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन दिनांक 07.11.2016 को सभागार कक्ष, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ में प्रातः 11:00 बजे से सम्पन्न होगा।

**नोट :- आवंटन स्थल पर आवेदन पत्र की प्राप्ति मूलरूप में एवं पहचान पत्र के साथ आये तभी प्रवेश अनुमन्य होगा।**